

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | महगी देवी पति-शकर राम ग्राम+पोस्ट-अहवर शेख थाना-मझौलीया जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी० 9472 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | जगदीश राय पिता-स्व० विष्णुदेव राय ग्राम+पो०+थाना-बहेडी जिला-दरभंगा एम०सी०एस-जी० 550 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | चन्द्रेश्वर राम पिता-स्व० जागेश्वर राम ग्राम-महनारो पोस्ट-धुसमलहात थाना-अनगढ जिला-पूर्णिमा एम०सी०एस-जी० 8140 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | धोघरी देवी पति-जोतिक राय ग्राम-पडौलिया पोस्ट-जीपधारा थाना-पिपराकोठी जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-जी० 3370 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 5 | फुल देवी पति-भोला पासवान ग्राम-महखड वार्ड 9 पो0-महखड थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 88115 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 6 | राजेश ठाकुर पिता-माराछु ठाकुर ग्राम-बेला पोस्ट-पाण्डु थाना-टडवा जिला-औरंगाबाद एम0सी0एस-जी0 550 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | चदन कुमार यादव पिता-सुरेश यादव ग्राम-सोनबेहट पोस्ट-शिव नगर घाट थाना-बिरौल जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 63688 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 8 | सीता देवी पति-राजेश कुमार ग्राम-मानिकचद तालाब अनिसाबाद, पो0-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 8995 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | सोनिया गुप्ता पति-बसंत प्रसाद ग्राम-सब्जीबाग दरियापुर पो0-बाकीपुर थाना-पीरबहोर जिला पटना एम0सी0एस-ई0 42763 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 10 | राधा देवी पति-जय प्रकाश सोनी ग्राम-लोदी कटरा तेल डिपो गली, पोस्ट-झाउगज थाना-खाजेकला जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 9185 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 11 | रामवती देवी पति-भृगु नाथ राय ग्राम+पो0-बघेजी थाना-बरौली जिला-गोपालगज एम0सी0एस-ई0 2494 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 12 | रेणु देवी पति-स्व० बिमल प्रसाद साह ग्राम-बलुआ कलियागज पो०-कलियागज थाना-पलासी जिला अररिया एम०सी०एस-जी० 8877 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 13 | अनिता देवी पति-कुन्दन चौधरी ग्राम+पो०-नौनेति थाना+जिला सहरसा एम०सी०एस-जी० 9270 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 14 | मुन्नी देवी पति-राज किशोर सिंह ग्राम-तेतरिया पोस्ट-बीरपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एमसीएसन०-जी० 9616 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 15 | फुचिया खातुन पति-मो० मुस्लीम असारी ग्राम-गोपीनगर परसा पो०-कमलपुर थाना-बी० कोठी जिला पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 6359 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 16 | मास्टर महादेव कुमार पिता-अजय ठाकुर ग्राम-दीघापर पो०-केहुनिया थाना-प्राणपुर जिला-कटिहार एमसी०एस-एफ 85750 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 17 | नैतिक कुमार पिता-रविन्द्र कुमार ग्राम-महसौनी पो०-कजरा थाना-पीरी बाजार जिला-लखीसराय एमसी०एस-जी० 1845 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 18 | कृष्ण मुरारी साव पिता-स्व० बिरजु साव ग्राम-हेतनपुर पो०-माधोपुर थाना-साहपुर जिला-पटना एमसी०एस-जी० 1863 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 19 | गणेश सिंह पिता-उमा सिंह ग्राम+पो0-लाखो थाना- लाखो ओ0पी0 जिला-बेगुसराय एमसी0एस-एफ 61240 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 20 | सुमती देवी पति-साधु प्रसाद ग्राम+पो0-मीरगंज थाना-बिहारशरीफ जिला नालदा एमसी0एस-जी0 9522 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 21 | सुभद्रा देवी पति-अरुण कुमार सिंह ग्राम-बाकन वार्ड 06 पो0-फेसर थाना-फेसर जिला-औरंगाबाद एमसी0एस-एफ 74245 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 22 | राज कुमारी देवी पति-निवास राम ग्राम-मटकीपुर पो0-मानिकपुर थाना-धनसोई जिला-बक्सर एमसी0एस-जी0 9573 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 23 | गुडिया देवी पति-ललित पासवान ग्राम-गावपुर पो0-गावपुर थाना-उजियारपुर जिला समस्तीपुर एमसी0एस-जी0 9740 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 24 | पार्वती देवी पति-भुखन यादव ग्राम-ठेगहा पो0-काप थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एमसीएसन0-एफ 68492 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 25 | निभा देवी पति-अरुण मोची ग्राम-सुरदासपुर पो0-मोदनगज थाना-घोषी जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 9456 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 26 | गीता देवी पति-प्रमोद कुमार ग्राम-हाउस न0-30 गाधी मैदान, पो0+थाना- सुपौल जिला- सुपौल एमसी0एस-एफ 78653 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 27 | सतोष कुमार पिता-देवेन्द्र प्रसाद मडल ग्राम-बरमसिया कटिहार पोस्ट-कटिहार थाना-सहायक जिला कटिहार एमसी0एस-जी0 8606 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 28 | मैमुन निशा पति-मो0 हुसैन ग्राम-सारेया पो0-मुस्ताफाबाद थान-गोरया कोठी जिला-सीवान एमसी0एस-जी0 8351 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 29 | घुटु जमादार पिता-पल्लु जमादार ग्राम-अघना बेलदारी पोस्ट-अधना थाना-नूरसराय जिला नालदा एमसी0एस-जी0 8489 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 30 | यशोदा देवी पति-सूर्यानन्द सिंह ग्राम-मजलीशपुर पोस्ट-उरलाहा थाना-पलासी जिला-अररिया एमसी0एस-जी0 4004 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 31 | काला देवी पति-शिवानन्द मडल ग्राम-भोडहा पोस्ट-दभडा थाना-कुर्सा काटा जिला-अररिया एमसी0एस-जी0 65 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 32 | समिता देवी पति सतोष साह ग्राम-नैनहा पोस्ट-नैनहा थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एमसी0एस-जी0 6125 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 33 | लालती देवी पति-ओम प्रकाश चौधरी ग्राम-नेहरू टोला पटना सिटी पोस्ट-बेगमपुर थाना-चौक जिला-पटना एमसी०एस-जी० 1415 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 34 | जानकी देवी पति-राजो साह ग्रा-निरपुर पो०-निरपुर थाना-चौथम जिला-खगडिया एमसी०एस-एफ 60584 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 35 | सिद्धनाथ शर्मा पिता-रामायण मिस्त्री ग्राम-गोनपुरा पो०-खलीलाबाद थाना-कादिरगज जिला-पटना एमसी०एस-जी० 8669 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 36 | मो० इरफान खान पिता-मो० सफीक खान ग्राम-फतेहपुर वार्ड 02 पो०-भुटही थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढी एमसी०एस-जी० 4988 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 37 | मास्टर शाहरियान राज (Sahariyan Raj) पिता-रूपेश कुमार ग्राम-सुगठीया पो०-धरहरा थाना-धरहरा जिला-मुंगेर एमसी०एस-जी० 9698 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 38 | आमना खातुन पति-मो० इदरीश ग्राम-भेरवेरी पो०-खारूदह थाना-पौआखाली जिला-किशनगज एमसी०एस-जी० 9168 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 39 | डब्लु कुमार पिता-वलेश्वर राम ग्राम-धामसग पो०-भागन बीघा थाना-रहुई जिला नालदा एमसी०एस-जी० 6362 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|----------|------------------------|
| 40 | मीना देवी पति-इन्द्रदेव प्रसाद ग्राम-सोहाजना वार्ड 2 पो0-सुहावनपुर सुडी थाना-इस्लामपुर जिला नालदा एमसी0एस-जी0 579 | बोन मैरो ट्रांसप्लांट | 4,00,000 | चार लाख स्वीकृत। |
| 41 | शीला देवी पति-राज मंगल प्रसाद ग्राम+पो0-पुरनहिया थाना-घोडा सहन जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-जी0 9304 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 42 | शत्रुघन चौधरी पिता-स्व0 विश्वनाथ चौधरी ग्राम-बृजलालपुरी कुरी टोला पो0-मेयारी बाजार थाना-नोखा जिला-रोहतास एमसी0एस-जी0 7060 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 43 | रजु देवी पिता-रजु सिंह ग्राम-फतेहपुर पोस्ट-प्रतापपुर थाना-हलसी जिला-लखीसराय एमसीएसन0-जी 8747 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 44 | उमेश कुमार पिता-बालकृष्ण मडल ग्राम-तरहा पो0 बैहरी थाना-सिहेश्वर जिला-मधेपुरा एमसी0एस-जी0 6026 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 45 | सीता देवी पति-जितेन्द्र साह ग्राम-बरुना पो0-रामनगर थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 82724 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 46 | मो0 शाहिद आलम असारी पिता-मो0 जमालउद्दीन असारी ग्राम मौलवी टोला 25 पो0-अररिया थाना+जिला अररिया एमसी0एस-जी0 9479 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|------------------------|
| 47 | सुनिता देवी पति-हरिदर साह ग्राम-शिवहर पो0-शिवहर थाना-जिला शिवहर एमसी0एस-जी0 9687 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 48 | मनीषा देवी पति-मकसुदन कामती ग्राम+पो0-रामपुरडीह थाना-विशनपुर जिला दरभंगा एमसी0एस-ई0 2597 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 49 | लक्ष्मी देवी पति-मदन शर्मा ग्राम-रामपुर कोठी पोस्ट+थाना भगवानपुर हाट जिला-सीवान एमसी0एस-जी0 9694 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 50 | अभिराज कुमार पिता-हरेन्द्र शर्मा ग्राम-टेटुआ टाड पोस्ट-अतरी थाना-अतरी जिला-गया एमसी0एस-एफ 96575 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 51 | बाल किशोर यादव पिता-जय किशन यादव ग्राम-कहरा ब्लॉक पोस्ट+थाना-सहरसा जिला-सहरसा एमसी0एस-एफ 79443 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 52 | रेहाना खातुन पति-रुसतम अली ग्राम-बलरा पो0-हसनपुर मठिया थाना-सिधवलिया जिला-गोपालगज एमसी0एस-जी0 6142 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 53 | दया राम पिता-रब्बी राम ग्राम-रहमगज गन्दी बस्ती पो0 लालबाग थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा एमसी0एस-एफ 88945 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|---------------------|
| 54 | सुमन देवी पति-बच्चा सिंह ग्राम-हसनपुर पोस्ट-परसौनी किशुन थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 65725 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 55 | प्रिन्स सत्यम आकर्ष पिता-विनोद कुमार रजन ग्राम+पो0-मधुबनी थाना-सग्रामपुर जिल-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-एफ 2134 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 56 | सुषमा देवी पति-अमरेन्द्र पाण्डेय ग्राम-पथरा पोस्ट+थाना-इमामगज जिला-गया एमसी0एस-जी0 4230 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 57 | विनोद कुमार राम पिता-बिहारी राम ग्राम-राजवाडा पोस्ट--अर्देवा थाना तरैया जिला-सारण एमसी0एस-जी0 1738 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 58 | फुलजाहा खातुन पति-मो0 हासिम ग्राम-जमैला बाजार पोस्ट-मदना थाना-अधराटारही जिला-मधुबनी एमसी0एस-जी0 9368 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 59 | पप्पु कुमार पिता-इद्रदेव सिंह ग्राम-मतारीसी पो0-मतारीसी थाना-हलसी जिला लखीसराय एमसी0एस-जी0 9156 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 60 | साहिबन खातुन पति-इमाम हसन ग्राम-माझा शेखटोली पो0-माझागढ थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एमसी0एस-जी0 7670 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 61 | बिन्दा देवी पति-महेश कुमार सिंह ग्राम-इगलिशपुर पोस्ट-सनेया ब्रहाटा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर एमसीएस-जी० 9618 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 62 | सजय शर्मा पिता-स्व० राम शरण शर्मा ग्राम-मकनपुर पोस्ट-बरारा थाना नुरसराय जिला-नालन्दा एमसीएस-जी० 9665 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 63 | भारती रानी पति-विकास कुमार ग्राम-धमदाहा उत्तर पोस्ट-धमदाहा थाना-धमदाहा जिला-पूर्णिया एमसीएस-एफ 90286 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 64 | रतिया देवी पति-बीरेन्द्र सहनी ग्राम-बेरु आपोस्ट-इब्राहीमपुर थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर एमसीएस-जी० 9272 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 65 | सुरेश सिंह पिता-स्व० चन्द्रदेव सिंह ग्राम-नीमारग पो०+थाना-जमुई जिला-जमुई एमसीएस-एफ 92240 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 66 | सुनीता देवी पति-राम बाबु साहु ग्राम+पो०-गलमा थाना-घनश्यामपुर जिला दरभंगा एमसीएस-जी० 609 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 67 | धर्मेन्द्र कुमार पिता-बालेश्वर महतो ग्राम-खेम करनपुर पोस्ट-मानसिगपुर बिजरौली थाना-तिसिऔता जिला-वैशाली एम०सी०एस-जी० 8535 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 68 | राज कुमारी देवी पति-स्व० सुरेश चौधरी ग्राम-काजी मोहल्ला पो०-मनेर थाना-मनेर जिला-पटना एमसी०एस-जी० 8921 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 69 | मटुन कुमार यादव पिता-सदन यादव ग्राम+पो०-सूजा थाना-मुफ्फसिल जिला बेगुसराय एमसी०एस-एफ 84275 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 70 | अमला देवी पति-स्व० देव चन्द्र मेहता ग्राम-मटियारी पोस्ट-मटियारी थाना-बलुआ बाजार जिला-सुपौल एमसी०एस-जी० 9203 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 71 | राम भजन दास पिता दरबारी दास ग्राम+पो०-शाहपुर थाना-मुफ्फसिल पी०एस० जिला-बेगुसराय एमसी०एस-जी० 9660 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 72 | मजु देवी पति-रामाशीष पासवान ग्राम-सिराजा पोस्ट-बडी बलिया थाना-बलिया पुलिस स्टेशन जिला-बेगुसराय एमसी०एस-जी० 9373 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 73 | पार्वती देवी पति-विनय कुमार ग्राम-वृन्दावन पो०-किऊल आर० एस० थाना-किऊल जिला-लखीसराय एमसीएसन०-एफ 53241 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 74 | शहनाज बेगम पति-महमुद आलम ग्राम-मजराही पोस्ट-मछहट्टा थाना-अमौर जिला-पूर्णिया एमसी०एस-जी० 8807 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 75 | अमर कुमार पिता-दिनेश्वर ठाकुर ग्राम+पो0-तारा धमौन पोस्ट-शाहपुर पटोरी जिला-समस्तीपुर एमसी0एस-जी0 9119 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 76 | जगत किशोर प्रसाद पिता-सुखु महतो ग्राम-लखमा बिगहा पो0-बिसाई विगहा थाना-परवलपुर जिला नालन्दा एमसी0एस-एफ 91562 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 77 | गनौरी साव पिता-बालेश्वर साव ग्राम-हुसैनगज पोस्ट-बाढ थाना बाढ जिला पटना एमसी0एस-एफ 96336 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 78 | मन्सूरुल हसन पिता-महमूदुल हसन ग्राम+पो0-तरियामा थाना-सिमरी बख्त्रियारपुर जिला-सहरसा एमसी0एस-जी0 9283 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 79 | शाहिदा खातुन पति-मोहम्मद मिया ग्राम-सुवाटोल पो0-भरफोरी थाना-आधामठ जिला-मधुबनी एमसी0एस-जी0 7834 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 80 | अनिता देवी पति-शिव शंकर राय ग्राम-पचगामा पोस्ट-हरिपुर थाना-रोसडा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 1163 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 81 | केशव कुमार पिता-कुन्दन कुमार ग्राम-वीरपुर वार्ड 06 पो0-वीरपुर थाना-वीरपुर जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 2351 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------|--------|------------------------|
| 82 | ललिता देवी पति-शिवजी यादव ग्राम-गढिया पोस्ट-गोविन्दपुर थाना प्रतापगज जिला सुपौल एम0सी0एस-जी0 6870 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 83 | जामादार महतो पिता-निरगुन महतो ग्राम-बगरा खुर्द वार्ड 2 पो0-रिविलगज थाना-रिविलगज जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-जी0 2174 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 84 | महिबुल रहमान पिता-जमशैद ग्राम-बभनगावा पो0-औसी बभनगावा थाना-ओबसी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 3406 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 85 | मीना देवी पति-चन्द्रेश्वर सिंह ग्राम-बन्धु बरवा पो0-रामगढवा थाना-रामगढवा जिला पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-जी0 9288 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 86 | सुर्यमुखी देवी पति-स्व सिताराम यादव ग्राम-बेहरा पोस्ट-बेहरा थाना-धोबहॉ जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 46331 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 87 | मुन्ना मिया पिता-हुकुम मिया ग्राम-महना गन्नी पो0-महना गन्नी थाना-मुफस्सिल जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 6957 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 88 | मोहम्मद सलीम पिता-मोहम्मद जुल्मी ग्राम-कालीगज पो0-रानी पतरा थाना-मुफस्सिल जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 9697 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|--------|---------------------|
| 89 | शबाना खातुन पति-मो० सौकत ग्राम-चौद कोलनी गाय घाट पटना, पोस्ट-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 5767 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 90 | मान्ती देवी पति-भुषण प्रसाद ग्राम-पीर मकेर पो०-पीर मकेर थाना-मकेर जिला-सारण एम०सी०एस-जी० 9147 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 91 | पार्तो देवी पति-बबलु पासवान ग्राम+पोस्ट-चन्नौ थाना-रसलपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 6961 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 92 | गुलशन कुमार पिता-भरत राम ग्राम- पोह पीर हीन्डा पो०-पीरहन्डा थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई एम०सी०एस-एफ 96927 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 93 | ललिता देवी पति-प्रभाष कुमार सिंह ग्राम-गुरुद्वारा वार्ड स०-03 पोस्ट-विजयहाट थाना बाराहाट जिला बाका एम०सी०एस-जी० 6127 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 94 | गमकी देवी पति-मदन यादव ग्राम-चुरामन पट्टी पो०-खडडा कुजलही थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी० 8041 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 95 | रसुल पिता-इस्माईल ग्राम-दोगच्छी पो०-बैजनी थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 8517 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|-----|--|----------|----------|--|
| 96 | ललिता देवी पति--प्रसिद्ध राय ग्राम+पो0-बाजीतपुर चक करस्तुरी, थाना-सहदेई ओ0पी0 जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 6421 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 97 | चदा देवी पति-राज किशोर यादव ग्राम-रामजानीपुर 05 पो0-कालजीगज थाना-शिवनारायणपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 9614 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 98 | गुजा कुमारी पति-राजु दास ग्राम-गोविंदपुर पो0-बलुआचक थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 5413 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 99 | ज्ञान्ती देवी पति-उमा सिंह ग्राम+पो0-ओसैन थाना-बिहिया जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 9620 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 100 | मनु कहार पिता-शिव शकर कहार ग्राम-सारगपुर पो0-बडका डुमरा थाना-आरा मुफफसिल जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 8906 | कैसर रोग | 1,60,000 | एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| 101 | चिन्तामणी देवी पति-रामदेव राम ग्राम-बाला बिगहा पोस्ट-रामपुर चाय थाना-शहर तेलपा ओपी जिला-अरवल एम0सी0एस-जी0 8985 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 102 | धर्मदत्त सिंह पिता-स्व0 भुखन सिंह ग्राम-रसीदपुर काजीचक पोस्ट-सकरी चौकी थाना+जिला-अरवल एम0सी0एस-एफ 12445 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|-----|--|----------|--------|------------------------|
| 103 | विजय दास पिता-दुखु दास ग्राम+पो0-धाना डीहरी थाना-परस बीगहा जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 10025 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 104 | ललिता देवी पति-रामचन्द्र राम ग्राम-बर्मा पोस्ट-चोरौत थाना-चोरौत जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 89458 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 105 | सुनीता देवी पति-अनिल प्रसाद ग्राम-जय हिन्द गली पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला पटना एमसी0एस-जी0 8558 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 106 | शंकर कुमार पिता-रामानंद महतो ग्राम-कैडी वार्ड 7 पोस्ट-बीथो थाना-चन्दौती जिला-गया एम0सी0एस-जी0 6990 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 107 | आयाश कुमार दास पिता-सुभाष दास ग्राम-महादेवपट्टी पोस्ट-हरलाखी थाना-हरलाखी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 9980 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 108 | सुशीला देवी पति-आनंदी साह ग्राम-चौदपुरा खुर्द पो0-सोन्धो थाना-गोरौल जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 3769 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 109 | मो0 अरमान पिता-किताबुल असारी ग्राम-तुम्बापहर पो0-चैन थाना-झाझा जिला-जमुई एम0सी0एस-जी0 6182 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|------------------------|
| 110 | इन्दु कुमारी पति-ललित कुमार ग्राम-बोकनारी खुर्द पोस्ट-सोलहडा थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 580 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 111 | छोटे लाल ठाकुर पिता-प्रसाद ठाकुर ग्राम-गोपी छपरा 04 पोस्ट-भगवतिया थाना-केसरिया पी0एस0 जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9260 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 112 | आरती देवी पति-विजय सोनार ग्राम+पो0-बरका सिधनपुरा थाना-सिमरी जिला-बक्सर एम0सी0एस-डी0 72389 | कैसर रोग | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| 113 | गोपी चौहान पिता-लाला चौहान ग्राम-नेवाजी बीगहा 10 पोस्ट-हरगावन थाना-मानपुर जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 6507 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 114 | रजु देवी पति-कुणाल कुमार ग्राम-नत्थुपुर चाणक्य कोलनी पोस्ट-कुरथौल थाना-परसा बाजार जिला-पटना एमसीएसन0-जी 9676 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 115 | हरेन्द्र सिंह पिता-जगदेव सिंह ग्राम-कचौर पो0-फुलकाहा थाना-कन्हौली जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 6201 | कैसर रोग | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| 116 | विभा देवी पति-विनय कुमार सिंह ग्राम-कहरीया वार्ड 8 पो0-कहरीया थाना-बरियारपुर जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 9764 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|-----|---|----------|--------|------------------------|
| 117 | सुमन देवी पति-डोमी यादव ग्राम-केवटगामा पोस्ट-लक्ष्मीपुर चडी स्थान थाना-कुमार खंड जिला-मधेपुरा एमसीएस-जी० 1310 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 118 | आशा देवी पति-रामजी पासवान ग्राम+पो०-करमा लहंग थाना-टडवा जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-एफ 99575 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 119 | कार्तिक मडल पिता-ब्रहादेव मडल ग्राम+पो०-मुरलीचदवा थाना-उदाकिशुनगज जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 9428 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 120 | मजु देवी पति-शम्भु रविदास ग्राम-बुझायत पोस्ट-नैयाडीह थाना-चर्कपथर जिला-जमुई एमसीएस-जी० 6693 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 121 | मालती देवी पति-पप्पु यादव ग्राम-दीनापट्टी वार्ड 05 पोस्ट-दीनापट्टी थाना-मुरलीगज जिला मधेपुरा एमसीएस-एफ 84607 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 122 | बिन्दु देवी पति-विनोद कुशवाहा ग्राम+पो०-मिर्जापुर थाना-पताही जिला पूर्वी चम्पारण एमसीएस-जी० 1928 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 123 | नसीमा खातुन पति-नूर हक ग्राम-मखान पोखर वार्ड 08 पो०-तैयबपुर थाना-पोठिया जिला-किशनगज एमसीएस-जी० 3745 | कैसर रोग | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|-----|--|----------|--------|------------------------|
| 124 | राम शरण साह पिता-गणेश साह ग्राम-कर्णगढ पोस्ट+थाना-चन्द्रमडीह जिला-जमुई एमसी0एस-एफ 73433 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 125 | रेखा देवी पति-बीजु प्रसाद ग्राम+पो0-चिलहर थाना-अजिमाबाद जिला भोजपुर एमसी0एस-जी0 9622 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 126 | शाति देवी पति-रजय कुमार ग्राम-इमली पो0-सोनिहार थाना अलौली जिला खगडिया एमसी0एस-जी0 6136 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 127 | सुरज कुमार पिता-जमाहीर चौधरी ग्राम+पो0-केवटी थाना-बरबीघा जिला शेखपुरा एमसी0एस-जी0 9316 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 128 | ललिता देवी पति-सुरेन्द्र पासवान ग्राम-चरगाहा पोस्ट-तुरकौलीया थाना तुरकौलया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 6870 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजरा स्वीकृत। |
| 129 | धर्मेन्द्र सिंह पिता-छहकलाल सिंह ग्राम+पो0-पटेल नगर भर्रा थाना-महेशखुट जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 90993 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 130 | अब्दुल हक पिता-माजीद अली ग्राम+थाना-अर्राबाडी पोस्ट-रायपुर जिला-किशनगज एमसी0एस-जी0 10079 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजरा स्वीकृत। |

| | | | | |
|-----|--|----------|------------------|--|
| 131 | कमला देवी पति-प्रभुनाथ राम ग्राम-पुरानी किला पोखरा हरिजन टोली पो0-सिवान थाना-नगर जिला-सीवान एमसीएस-ई0 98917 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 132 | सुनील कुमार सिंह पिता- स्व0 रामजनम सिंह ग्राम- नयागाव पो0- नयागज थाना- देसरी जिला- वैशाली एमसीएस नं0- एफ 86133 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 133 | लालमुनि देवी पति- दसरथ सिंह ग्राम- झाँवाँ पो0- बेलवनिया थाना- बिहियाँ जिला- भोजपुर एमसीएस नं0- जी 9920 | कैसर रोग | 1,80,000 | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| | | | 98,20,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 98,20,000/- (अन्तानवे लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं CBIN 0282779 मे अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,

शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 142(14)

पटना, दिनांक 19/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राज कुमार पिता- गोपाल प्रसाद ग्राम- चैनपुरा पटना सिटी पो०- बेगमपुर थाना- बाईपास जिला- पटना सीआर न०- 108112501387664 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | रौशनी खातून पति- मो० नसीम ग्राम- चक्काजीनिजाम पो०+थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर न०- 108112403240604 | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3 | पूनम देवी पति- स्व० अनंत कुमार ग्राम- इन्दुपुर पो०+थाना- बडहिया जिला- लखीसराय सीआर न०- 108112300415325 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | नन्द किशोर प्रसाद पिता- मदन प्रसाद ग्राम- लक्ष्मीपुर दोन पो०- नौरगिया दोन थाना- गोबरहिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112502491155 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------|----------|--|
| 5 | कार्तिक साह पिता- लालमोहन साह ग्राम- भटौली पो0+थाना- करताहा जिला- वैशाली सीआर न0- 108112400114080 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 6 | प्रियका कुमारी पिता- विष्णु साह ग्राम- मुरौली पो0- बसौली थाना- मनियारी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112502325735 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 7 | जीतेन्द्र महतो पिता- स्व0 भगीरथ महतो ग्राम- गोसाई मठ उमानाथ बाढ पो0+थाना- बाढ जिला- पटना सीआर न0- 108112300759237 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 8 | रीता देवी पति- रमेश महतो ग्राम- हरजरतपुर पो0- बोचहा थाना- मोहिउद्दीनगर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502465626 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 9 | अनेकफुल देवी पति- भुल्लर सिंह ग्राम+पो0- बेलवर थाना- बेलसर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501843660 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 10 | रजू देवी पति- अमरेश सिंह ग्राम+पो0- भैसही थाना- माझागढ जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112400382491 | कैसर रोग | 1,80,000 | एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| 11 | मजू देवी पति- सुधीर सिंह ग्राम- रमसापुर पो0- खरिका थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर नं0- 108112300907392 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|------------------------|-----------|--|
| 12 | शाहजहा खातून पति- बदरुद्दीन असारी ग्राम- फुर्सतपुर पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112403761566 | कैसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 13 | शकुन्तला देवी पति- अशोक उपाध्याय ग्राम- काजीपुर पो0- रसलपुरा थाना- डोरीगज जिला- सारण सीआर न0- 10811250921849 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 14 | धनन्जय कुमार सिंह पिता- रामचंद्रेश्वर सिंह ग्राम- तितिरा पो0- भाथा सोनहो थाना- परसा जिला- सारण सीआर न0- 108112502415696 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 15 | सतीश कुमार पिता- शिवानद मडल ग्राम- बगाली टोला पो0+थाना- फारबिसगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112300934985 | Post Transplan t | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| 16 | अभिमन्यु कुमार सिंह पिता- राज कुमार सिंह ग्राम+पो0- रामगढा थाना- दरौदा जिला- सिवान सीआर न0- 108112300547213 | Post Transplan t | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे। |
| 17 | त्रिलोकी गिरी पिता- राजनारायण गिरी ग्राम- बावनडीह के मठिया पो0- चैनपुर थाना- सिसवन जिला- सिवान सीआर न0- 108112505262288 | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 13,50,000 | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,50,000/- (तेरह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 143(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रेखा देवी पति- भूषण राम ग्राम- सिकंदरपुर पो०- चादमारी थाना- शाहपुर जिला- पटना | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2 | बिंदु देवी पति- स्व० गौरी शंकर प्रसाद ग्राम- चैलिटाल महावीर मंदिर पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3 | चन्द्रकान्ति देवी पति-स्व० सत्येन्द्र मिश्रा ग्राम-बनसोही वार्ड 9 पोस्ट-खेढवा थाना-बसतपुर जिला-सीवान | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | रेखा देवी पति- बिरेन्द्र कुमार ग्राम- हाउस नं०- 50 मुसल्लहपुर चाई टोला पो०- महेन्द्र थाना- कदमकुंआ जिला- पटना | टोटल नी रिप्लेसमेंट | 1,50,000 | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|----------|----------|---------------------|
| 5 | सजीव कुमार पिता- माधो प्रसाद सिंह ग्राम- शम्भूगज पो-0- दुरमट्टा थाना- हरपुर जिला- मुंगेर | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 4,70,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 144/14

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002556... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/26
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मंटू राज पिता- सुदामा यादव ग्राम- सेम्भुआ पो०- टेरी थाना- मोहनिया जिला- अरवल रजि न०- अंकित नहीं है। | ड्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2 | सौरभ कुमार पिता- राम नारायण पासवान ग्राम- कैलाशपुर पो०- उलाव थाना- सिंघौल जिला- बेगूसराय रजि नं०- अंकित नहीं है। | Combine Craniofacial Resection | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3 | मीना देवी पिता-रामाशंकर मिश्र ग्राम+पो०-केशोपुर थाना-सिमरी जिला-बक्सर रजिनं०-3000620174 | Craniotomy Cranioplasty | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 4 | पप्पू कुमार पिता- जवाहर राय ग्राम- चकउफरौल पो०- सहदुल्लाहपुर धोबौली थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली रजि नं०- 3000588453 | xqnkZ izR;kjksiu | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। |
| | | | 5,15,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,15,000/- (पाँच लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०

16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 145714)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002556 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | साबरा खातून पति- मो० कदीर असारी ग्राम+पो०- बलहा थाना- कुशेश्वरस्थान जिला- दरभंगा | स्पाईन सर्जरी | 90,000 | नब्बे हजार स्वीकृत। |
| 2 | विनय कुमार साह पिता- जहागीरपुर पो०+थाना- सोनपुर जिला- सारण | हीप रिप्लेसमेंट | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 3 | मीणा देवी पति- दिलीप सिंह ग्राम- परमानदपुर पो०- पुरखौली थाना- लालगंज जिला- वैशाली | हीप रिप्लेसमेंट | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 4 | शिवम कुमार पिता- महेश साह ग्राम- वाहितपुर पो०- सोनमई थाना- गौरीचक जिला- पटना | स्पाईन सर्जरी | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 5 | रजन कुमार पिता- तपेश्वर यादव ग्राम- खारन्ती पो०+थाना- ओबरा जिला- औरंगाबाद | ड्रामा | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|---------------|----------|-----------------------------|
| 6 | गौतम कुमार पिता- बिरेन्द्र पाण्डेय ग्राम- कादी बिगहा पो0- भागन बिगहा थाना- रहुई जिला- नालदा | स्पाईन सर्जरी | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 7 | रविन्द्र रविदास पिता- विनेशर रविदास ग्राम- रन्नु विगहा पो0- गुरुशरणपुर थाना- वेन जिला- नालदा | स्पाईन सर्जरी | 1,25,000 | एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। |
| 8 | वसीम अकरम पिता- सलाउद्दीन खान ग्राम- जादो पीपरा पो0+थाना- हथुआ जिला- गोपालगज | स्पाईन सर्जरी | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| | | | 6,65,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,65,000/- (छः लाख सैसठ हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई० बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख,


पटना, दिनांक 19/11/2026

ज्ञापांक

146 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०.००२९९६.६६ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गंगिया देवी पति- नंदन पासवान ग्राम- डीही पो०- एकम्बा थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय | स्पाईन सर्जरी | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2 | शिवम कुमार पिता- नागेद्र कामत ग्राम- चमनपुरा पो०- ढाकजरी थाना- अरेर जिला- मधुबनी | ट्रामा | 45,000 | पैंतालीस हजार स्वीकृत। |
| 3 | सतोष कुमार पिता- राम रतन शर्मा ग्राम+पो०- लक्ष्मीसागर थाना- ल०ना०वि०वि० जिला- दरभंगा | ट्रामा | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| | | | ₹ 1,70,000/- | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्जाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 19/11/2021

ज्ञापक 147 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० ७०२५५६... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनाक..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | विजय कुमार सिंह पिता- राज नाथ सिंह ग्राम- आदर्श कॉलोनी रोड नं०- 04 पो०- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना | हृदय रोग बीएमभी | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 2 | माला सिन्हा पति- नरेद्र कुमार ग्राम- आदर्श नगर हरनौत पो०+थाना- हरनौत जिला- नालंदा | हृदय रोग पीटीसीए | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| 3 | शिवालक यादव पिता- भज्जू यादव ग्राम- पंडितपुर पो०+थाना- राजगीर जिला- नालंदा | हृदय रोग एमभीआर | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 4 | ब्रज किशोर प्रसाद पिता- राम राज प्रसाद ग्राम- भरवलिया पो०- पुरन्दरा थाना- भेलाही जिला- पूर्वी चम्पारण | हृदय रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 5 | राहुल कुमार पिता- राजदेव सिंह ग्राम+पो०- तरारी थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद | Surgery (VIU) | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |

| | | | | |
|---|--|--------------|----------|-----------------------|
| 6 | सदीप मिस्त्री पिता- दिलीप मिस्त्री ग्राम- दुलरूआ बिगहा पो0- ननद थाना- सिलाव जिला- नालदा | ब्रेन सर्जरी | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 7 | सौरभ कुमार पिता- दिलीप कुमार ग्राम- सोनियावां पो0- जमुई थाना- दुल्हन बाजार जिला- पटना | ड्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| | | | 5,10,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 5,10,000/- (पाँच लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0.02556... ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 148(14)

पटना, दिनांक

19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०.००२५६.६.की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


19/11/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|-------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | टुन्नी देवी पति- चन्दन कुमार सिंह ग्राम- आकुचक पो०- राजधानी थाना- तरैया जिला- सारण | Laprosopic Cholecystectomy | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2 | कृष्ण मुरारी प्रसाद पिता- सुखरी सिंह ग्राम- गालीमपुर पो०- सलेमपुर थाना- करायपरसुराय जिला- नालदा | Inguinal Hernia Repair | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 1,40,000 | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 440720110000219 खाता धारक का नाम- "अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 149(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स०.००२९.९६... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राम लखन प्रसाद सिंह पिता-राजेश्वर शर्मा ग्राम-खरासीन पोस्ट-शहर तेलपा थाना-शहर तेलपा जिला-अरवल | कैंसर रोग | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2 | उर्मिला देवी पति- स्व० जीतेन्द्र सिंह ग्राम- सजय नगर बिग्रहपुर पो०- जी पी ओ थाना- जक्कनपुर जिला- पटना | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,30,000 | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- 7 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 150(14)

पटना, दिनांक

19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 0.0.2556.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय-- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मो० तौफिक पिता- मो० मुसलिम ग्राम- खिरीपघार पो०- औरिया थाना- बाराहाट जिला- बाका | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 2 | सुशीला देवी पति- ब्रजकिशोर राय ग्राम+पो०- रामपुर थाना- बखरी पुलिस स्टेशन जिला- बेगूसराय | कैसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3 | सहेद्र सिंह पिता- स्व० कपिलदेव सिंह ग्राम- न्यू एरिया चित्तौर नगर पो०- औरंगाबाद थाना- टाउन जिला- औरंगाबाद | कैसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 4 | राखी देवी पति-विशाल कुमार यादव ग्राम-गोरिया टोली स्टेशन रोड पो०-जी०पी०ओ० थाना-कोतवाली जिला-पटना | कैसर रोग | 1,50,000 | एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 3,50,000 | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 151114)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.0.0 25.5.6..... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,
निदेशक

डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गुरुदेव सदा पिता- राम प्रकाश सदा ग्राम- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टाफ क्वार्टर पो०- जी पी ओ थाना- कोतवाली जिला- पटना | Lap Appendectomy | 30,000 | तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | ₹ 30,000/- | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 152(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 ...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस
अगमकृआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बिनोद प्रसाद सिंह पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम+पो०- औटा थाना- हाथीदाह जिला- पटना | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 2 | सायरा खातून पति- निजामुद्दीन ग्राम- बांकी टीकम पो०- गुलवारा मधुबन थाना- मधुबन पी एस जिला- पूर्वी चम्पारण | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002...56 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 153(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.००२९६ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स०सं०'14/एम-11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | चन्दन माझी पिता- हरेद्र माझी ग्राम+पो०- पोखरा थाना- महाराजगंज जिला- सिवान | द्रामा | 90,000 | नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 2 | मिस्टी कुमारी पिता-अजय कुमार साव ग्राम-तुरहा टोली पोस्ट-दानापुर कैट थाना-शाहपुर जिला-पटना | Severe Anemia | 55,000 | पचपन हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |
| 3 | आदित्य राज पिता-रजन कुमार सिंह ग्राम-कृष्ण बिहार नियर महावीर मंदिर, गोला रोड पो०-दानापुर थाना-दानापुर जिला- पटना | द्रामा | 50,000 | पचास हजार स्वीकृत। |
| 4 | रौशन पटेल पिता-सुबोध कुमार ग्राम-पाली पो०-परैओ थाना-बिहटा जिला-पटना | हेपेटाइटिस बी० | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| | | | 2,80,000 | |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 0025.5.6 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 154(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 0025.5.6...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | चंचल देवी पति- उदय महतो ग्राम- नासरीगज देवी सीन पो०- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना केस फाईल न०- 11एफ2024/017848 | कैंसर रोग | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| 2 | प्रियाशु कुमारी पिता- शिवचंद्र प्रसाद कुशावाहा ग्राम- कोरैया लौखान पो०- लौखान थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 19एफ2025/006339 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 3 | उमा कुमारी पति- राजकिशोर प्रसाद ग्राम- फुलवरिया पो०- बारा चकिया थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 11एफ2025/011847 | कैंसर रोग | 35,000 | पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| 4 | सुधीर कुमार मिश्रा पिता- दशरथ मिश्रा ग्राम- शोखरा 02 पो०- बरौनी थाना- फुलवरिया जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- 19एफ2025/001299 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------|---------------------|
| 5 | विजय प्रसाद सिंह पिता- स्व० चंद्र माधव ग्राम- अलकापुरी भगवानपुर पो०- भगवानपुर थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2025/004407 | कैंसर रोग | 60,000 | साठ हजार स्वीकृत। |
| 6 | रामजी रघुनाथ यादव पिता- रघुनाथ यादव ग्राम- अजबी नगर पो०- डुमरा थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न०- 19एफ2025/006016 | कैंसर रोग | 40,000 | चालीस हजार स्वीकृत। |
| 7 | दिनेश यादव पिता- राम अनुग्रह यादव ग्राम- बरदिवन पो०- भौआडा थाना- टाउन जिला- मधुबनी केस फाईल न०- 11एफ2024/038136 | कैंसर रोग | 80,000 | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| | | | 4,35,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,35,000/- (चार लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCH and RC. Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424. IFSC Code- SBIN0006379.

शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 155(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 00255.6 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | सुनरवा देवी पति-फुला माझी ग्राम-अटौवा पो०-गोनावान थाना कादीरगज जिला- नवादा | हृदय रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| 2 | रामबली सिंह पिता-स्व० माणिकचौद सिंह ग्राम-जयनगर पोस्ट-चादी थाना-अकोढी गोला जिला- रोहतास | हृदय रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत। |
| | | | 2,00,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया गया आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 19/11/2026

ज्ञापाक 156(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00 255 6 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

| क्र० सं० | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|----------|--|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मनोज कुमार सिंह पिता- विशेश्वर सिंह ग्राम-पो०- मानो थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय | हृदय रोग सीएबीजी | 1,35,000 | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,35,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम . RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जा आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 157(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं०...००२५५६ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आर्य टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


19/11/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No. 106/107-B, Road No.
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शशिकला देवी पति- पुणेशर ठाकुर ग्राम+पो०- मौआही थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी | हृदय रोग | 85,000 | पचासी हजार स्वीकृत। |
| | | | 85,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 85,000/- (पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं०- UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 158(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ०७२...९.९.६ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड नं०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **14.01.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | सजु देवी पति-सतोष राय ग्राम+पो०-सहार थाना-सहार जिला-भोजपुर | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | आशा देवी पति-फकरुद्दीन अली ग्राम+पो०-सहार थाना-सहार जिला-भोजपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | बदरुन निशा पिता-सवीर अली ग्राम-ग्रहणी भोजपुर पो०-ग्रहणी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | जगदीश पंडित पिता-प्रेम चन्द्र पंडित ग्राम+पो०-कोचस थाना-किजर जिला-अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 5 | सुरेन्द्र कुमार पिता-अर्जुन सिंह ग्राम-बधु बीगहा पो०-कोचसा थाना-किंजर जिला अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------|------------------|
| 6 | विनोद बिन्द पिता-सत बिन्द ग्राम+पो0 कोचसा थाना-किंजर जिला अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | कृष्णा बिंद पिता-कारू बिंद ग्राम-भुआपुर पो0-कोचसा थाना-किंजर जिल अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | बिमला देवी पति-सत्यनारायण साह ग्राम-ग्रहणी भोजपुर पो0-ग्रहणी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | शिव कुमारी देवी पति-सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम-ग्रहणी भोजपुर पो0-ग्रहणी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | कामेश्वर भगत पिता-बधु भगत ग्राम-ग्रहणी भोजपुर पो0-ग्रहणी थाना-चरपोखरी जिला-भोजपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,00,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं UBIN0829579 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

- अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
 6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
 7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
 8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 159 (14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | सुरेश पसाद सिंह पिता—रामचन्द्र सिंह ग्राम+पो०—जयपुर थाना मेहदिया जिला अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | जयनाथ राय पिता—कलाप राय ग्राम+पो०—हुलसी टोला थाना—मनेर जिला—पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | धिना राम पिता—रघु नदन राम ग्राम—ब्रहाचारी पोस्ट—शेरपुर थाना—मनेर जिला—पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | सविता देवी पिता—राम किशोर राम ग्राम—ब्रहाचारी पोस्ट—शेरपुर थाना—मनेर जिला—पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|---|----------------|--------|-------------------|
| 5 | अनिशा खातुन पति-मो० सागीर ग्राम-नेतौल पो०-पडितगज थाना-कादीरगज जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 6 | रेहाना खातुन पति-मो० जफीरा ग्राम-अतरपुरा पो०-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 7 | सुशीला देवी पिता-राम वृक्ष चौधरी ग्राम+पो०-हजरत साई थाना-धनरूआ जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 8 | राजदेव राय पिता-रामदास राय ग्राम-रामपुर दियारा पो०-रामपुर दियारा थाना-मनेर जिला-पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 9 | सीता देवी पति-सुखलाल राय ग्राम-भरथुआ टोला पो०-भरथुआ थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 10 | अजली देवी पति-प्रकाश सहनी ग्राम-चदौली पो०-चदौली टिम्हा थाना-बेलसड जिला सीतामढी | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 11 | सुरत देवी पति-ईधार मडल ग्राम-चकदोनाय पो०-रून्नी सैदपुर थाना-रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 12 | राम इकबाल राय पिता-चुल्हाई राय ग्राम-कल्याणपुर पो०-चदवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------|------------------|
| 13 | सोनिया देवी पति-जय जय मडल ग्राम-चकदोनाई पो0+थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 14 | अशेश्वर राय पिता-बभदेला राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चदवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 15 | दहाउर सहनी पिता-चुल्हाई सहनी ग्राम-सिमरा बाध पो0-श्रीकठ सिमरा थाना-पियर जिला-मुजफ्फरपुर | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 1,50,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अंदर विभाग को वापस किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं अर्थात् अर्थात् लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 160(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एभन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कमलदेव सिंह पिता- राम इकबाल सिंह ग्राम+पो०- पतुत थाना- रानीतालाब जिला- पटना | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | लीलावती देवी पति- दीनानाथ शर्मा ग्राम- गोरैला पो०- रामबक्स जैतीपुर थाना- नौबतपुर जिला- पटना | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | शारदा नदन सिंह पिता- स्व० सहाविल सिंह ग्राम- नरमा पो०- मोहिउद्दीनपुर थाना- फतुआ जिला- पटना | Cataract Surgery | 20,000 | बीस हजार स्वीकृत। |
| | | | ₹ 40,000 | |

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० .CQ2SS.6 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम-“ए०एस०जी० हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम-, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संपत्ति मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 161(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 502556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | राजकली देवी पति-राजदेव राय ग्राम-गौसपुर इजरा पोस्ट-दिघी कला थाना हाजीपुर जिला-वैशाली | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | सुगिया देवी पति-भागेरन राय ग्राम-चक बीजगानी पोस्ट-दिघी कला थाना हाजीपुर सदर जिला-वैशाली | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | गिरजा देवी पति-सुखदेव राय ग्राम-गौसपुर इजरा पोस्ट-दिघी कला थाना हाजीपुर सदर जिला-वैशाली | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | ज्ञाती देवी पति-हवलदार महतो ग्राम-दरिहरा पो०-सरैया थाना-दरियापुर जिला-सारण | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|--------|------------------|
| 12 | जयमती देवी पति-सुरेश शर्मा ग्राम-खैरा पो-किजरा खाना-किजरा जिला-अरावली | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 11 | धूम कुमार पिता-श्यामनंदन सिंह ग्राम-अमरपुर पो-लाला भदसरा खाना-दुलिन बाजार जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | राजेश्वर राय पिता-भुजाली राय ग्राम-बजाहिया पोस्ट-सानपुर खाना-दरियापुर जिला-सारण | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | गायत्री देवी पति-गोपाल राय ग्राम-सर नारायण पोस्ट-सरहिया खाना-दरियापुर जिला-सारण | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | लाखी देवी पति-मशी राय ग्राम-सर नारायण पोस्ट-सरहिया खाना-दरियापुर जिला-सारण | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | राजकली देवी पति-श्रीधाम राय ग्राम-सर नारायण पोस्ट-सरहिया खाना-दरियापुर जिला-सारण | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 6 | राजेश्वर राय पिता-जगन्नाथ राय ग्राम-सर नारायण पोस्ट-सरहिया खाना-दरियापुर जिला-सारण | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 5 | गाली देवी पति-राजेश्वर राय ग्राम-सर नारायण पोस्ट-सरहिया खाना-दरियापुर जिला-सारण | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------|------------------|
| 13 | मन्नु मिया पिता-कबादीन मिया ग्राम-मधवा पो0-पालीगज थाना पालीगज जिला पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 14 | रामरतन सिंह पिता-शिव वरन सिंह ग्राम-दोखारा पो0-खरहरी थाना पालीगज जिला-पटना | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 15 | निरज प्रसाद गुप्ता पिता-यदुनदन साव ग्राम-नगवान पोस्ट-सोरमपुर थाना जानीपुर जिला पटना | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 16 | राम जन्म दास पिता-राम अशीष दास ग्राम-धमौल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला-अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 17 | सुरेश साव पिता-शिव जतन साव ग्राम-धमौल पो0-इब्राहीमपुर थाना-कुर्था जिला-अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 18 | बबन प्रसाद पिता-राम प्यारे प्रसाद ग्राम-कोदमाई पो0-पिजरावन थाना कुर्था जिला अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 19 | उजैर असाही पिता-आवास मिया ग्राम-सलारपुर पो0-मुरारी थाना-करपी जिला-अरवल | LE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 20 | रमेश साव पिता-जय राम साव ग्राम+पो0-पिजवारा थाना-कुर्था जिला-अरवल | RE Cataract | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 2,00,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 062556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 162014)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 062556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|---------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मो० इजहारूल हक पिता-मो० जानमहरूम ग्राम+पो०-मेहसौल थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 2 | बढीउजाम्मा पिता-अब्दुल रसीद ग्राम-मेहसौल पो०-मेहसौल थाना रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 3 | ताहिरा खातुन पति-निसरूल हक ग्राम+पो०-मेहसौल थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 4 | मो० शमीम पिता-यासीन ग्राम+पो०-मेहसौल थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 5 | राम सुतीक्षण मडल पिता-राम प्रगाश मडल ग्राम-गगवारा पोस्ट+थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--------|------------------|
| 6 | नसीमा खातुन पति-जीमरूल ग्राम+पो0-मेहसौल थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढी | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 7 | दौलत देवी पति-राम जतन राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चदवारा थाना औराई जिला मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 8 | रामपरी देवी पति-राज नदन सिंह ग्राम-गागुली टोला पोस्ट-ठाहर थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 9 | सोनफी साह पिता-राम विलास साह ग्राम-कल्याणपुर पो0-चन्दवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 10 | सीकीलिया देवी पति-बुदेला साह ग्राम-कल्याणपुर पो0-चदवारा थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 11 | जयलस देवी पति गुदरी राय ग्राम-कल्याणपुर पो0-चदवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 12 | धमनी देवी पति-लक्ष्मी राम ग्राम-कल्याणपुर पो0-चदवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 13 | प्रगाश राय पिता-चेथरू राय ग्राम-कल्याणपुर पोस्ट-चन्दवारा थाना-औराई जिला मुजफ्फरपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--------|-------------------|
| 14 | शारदा कुमारी पति-सुरेन्द्र यादव ग्राम+पो0-सुपी थाना-काको जिला जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 15 | सिवनीया देवी पति-बच्चन यादव ग्राम-धनी बिगहा पोस्ट-तेज बिगहा थाना-काको जिला जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 16 | बिन्दा बिन्द पिता-गोपाल बिन्द ग्राम-बढौना पोस्ट-तेज बिगहा थाना-काको जिला-जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 17 | कान्ति देवी पति-राजेन्द्र महतो ग्राम बरबट्टा पोस्ट-नोनही थाना-काको जिला जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 18 | अनिता देवी पति-अवधेश चौधरी ग्राम-नवी नगर पो0-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला नालदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 19 | मानो देवी पति-किशुन पासवान ग्राम-नवीनगर पो0-नवीनगर थाना-दीप नगर जिला-नालदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 20 | काति देवी पति-लखन पासवान ग्राम-दीप नगर पो0-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला-नालदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |
| 21 | जितेन्द्र प्रसाद पिता-बालेश्वर प्रसाद ग्राम-दीप नगर पो0-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला-नालदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत । |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--------|------------------|
| 22 | भागवत पासवान पिता-हरि पासवान ग्राम-नवी नगर पो0-दीप नगर थाना-दीप नगर जिला-नालंदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 23 | राजमुनी देवी पति-रमेश यादव ग्राम-मौला नगर पो0+थाना दीप नगर जिला नालंदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 24 | कारू महतो पिता-सीता राम महतो ग्राम-कोयरी बीघा पो0+थाना- परवलपुर जिला नालंदा | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 25 | माहेश्वरी देवी पति-वटेश्वर राय ग्राम-मोरवागढ पोस्ट-मोरवा थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 26 | पारो देवी पति-केवल पासवान ग्राम-चकहबीब पोस्ट-गगापुर थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 27 | कचना देवी पति-रघुवश चौधरी ग्राम-लसकारा पो0-मोरवा थाना-ताजपुर जिला समस्तीपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 28 | रामसखी देवी पति-दुर्गानंद चौधरी ग्राम-लसकारा पोस्ट-मोरवा थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 29 | ब्रजा पासवान पिता-यदु पासवान ग्राम-नेरथुआ पो0-पिजौर थाना-काको जिला-जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |

| | | | | |
|----|--|---------------------|----------|------------------|
| 30 | नवल प्रसाद पिता-राम प्रसाद साव ग्राम-नेरथुआ पो0-पिजौर थाना काको जिला जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 31 | यमुना यादव पिता-राम विशुन यादव ग्राम-सहवाजपुर पो0-सरथुआ थाना-काको जिला जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| 32 | शान्ति देवी पति-गनपत महतो ग्राम-अमथुआ पोस्ट-काजीसराय थाना-काको जिला-जहानाबाद | Cataract Surgery | 10,000 | दस हजार स्वीकृत। |
| | | | 3,20,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रू0 के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0- 18940210000786 खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE. PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड सं0 UCBA0001894 मे अतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 163(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय। 002556

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0स0-14 / एम 11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|-----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गीता देवी पति- विनोद पासवान ग्राम- धमपुर राम राय टोला पो०- सरस्वती देवी थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली | हीप रिप्लेसमेंट | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2 | मनीष कुमार पिता- रामानंद यादव ग्राम- कच्ची घाट चडोरिया ढाल पटना सिटी पो०- झाऊगज थाना- चौक जिला- पटना | ड्रामा | 70,000 | सत्तर हजार स्वीकृत। |
| 3 | विश्वनाथ राय पिता- मुन्नी लाल राय ग्राम- लोहानीपट्टी पो०- मालपुर थाना- पातेपुर जिला- वैशाली | ड्रामा | 75,000 | पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| | | | 2,20,000 | |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 00 25 56 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 33569032861 खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- स्टेट बैंक

आफ इण्डिया, शाखा का नाम –गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड 0000 SBIN 0001496 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान् भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 19/11/2026

ज्ञापाक 180(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 002556 . की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---|-------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | त्रिपुरेश्वर प्रसाद सिन्हा (जे०पी० सेनानी) पिता-स्व कामेश्वर प्रसाद ग्राम-402 विशाल आदित्य अपार्टमेंट, आशियाना दीघा, जिला-पटना | वेटिलेटर/ मल्टीपल डीजीज | 1,00,000 | एक लाख स्वी हृत। विशेष परिस्थिति में। |
| | | | 1,00,000/- | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 001547 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-00030400000914 खाता धारक का नाम-"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों

को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 14/11/2026

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002547 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

सुभाषिनी कुमारी
पति- अजित कुमार
ग्राम- रामपुर जयपाल
पो०- सनाठी
थाना- बोचहा
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843103

पटना दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुभाषिनी कुमारी पति- अजित कुमार ग्राम- रामपुर जयपाल पो०- सनाठी थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843103 | Post Kidney Transplant Medicine | 1,08,000 | एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30 01 2024 के आलोक में) |
| | | | ₹ 1,08,000/- | |

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-5875166522, खाता धारक का नाम- SUBHASHINI KUMARI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- AMGOLA MUZAFFARPUR, IFSC कोड स०- CBIN0281023 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 179(14)

पटना, दिनांक 19/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०.०० 25.5.6. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

हस्तलिखित प्रविष्टियाँ पासबुक में मान्य नहीं हैं।
नकद जमा करने पर, कृपया सिस्टम मुद्रित रसीद प्राप्त करें।


Handwritten entries in passbook are not valid
On deposit of cash, please collect the system printed receipt

आपकी आवश्यकता के अनुरूप हमारे ऋण उत्

- प्रत्यक्ष आवास वित्त (वैयक्तिक आवास के लिये)
- सेन्ट विद्यार्थी (भारत तथा विदेश में उच्च शिक्षा के लिए)
- सेन्ट व्हीकल (दो पहिया/चोपहिया वाहनों के लिये वैयक्तिक)
- सेन्ट मार्गेज (व्यक्तिक प्रायोजन के लिये संपत्ति के समक्ष)
- सेन्ट विजनरा
- सेन्टल किसान क्रेडिट कार्ड (किसानों का वित्तीय सहायता)
- सेन्ट रेन्टल्स (भायी किराए के समक्ष ऋण)
- पेशानरों को ऋण (व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)
- लघु एव मध्यम उद्यमी ऋण (एसएमई उद्यमियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु)



- Personal Products to meet your requirements
- Housing Finance (For Personal Housing)
- Education (Education loan for higher studies in India & abroad)
- Vehicle (Personal loan for two & four wheelers)
- Mortgage (Loan for personal use against property)
- Business
- Kisan Credit Card (empowering farmers)
- Rentals (Loan against furniture rentals)
- Pensioners (to meet personal exigencies)
- Loan to MSME (to meet credit requirements of SME entrepreneurs)



- कृपया अपना पिन नम्बर (एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड) किसी भी व्यक्ति को फोन या ई-मेल द्वारा न दें। एक इस तरह कभी भी आपके व्यक्तिगत विवरण नहीं मांगता है।

- Please do not disclose your PIN (ATM Card/Credit Card) to any body over phone or email, Bank never asks such personal details this way.

हमारा बैंक बीसीएसडीआई कोड अनुपालित है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया हमारे अधिकारियों से संपर्क करें।
We are BCBSI code compliant Bank, for Details please contact the Branch Manager



तारीख /Date

अधिकारी
OFFICER
प्रबंधक
MANAGER

Subhashini Kumari

सं० सं० 14/एम 11-06/2016
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 14.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--|------------------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कमला देवी पति- अजय कुमार सिंह ग्राम+पो०- बगरा थाना- महाराजगज जिला- सिवान | Heart Surgery (TAVI/TAVR) | 3,00,000 | तीन लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में |
| | | | 3,00,000 | |

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002560 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र

में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक


224(14)

पटना, दिनांक

28/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.02560 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख